महामहिम राज्यपाल

सरदार श्री हुकम सिंह का अभिभाषण

4 मई, 1967

माननीय सदस्यगण,

चतुर्थ आम चुनावों के पश्चात् नई विधान-सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने के लिये आपको बधाई देता हूँ। चतुर्थ आम चुनावों का शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो जाना, राष्ट्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। जैसा कि आपको विदित ही है, आम चुनावों के पूर्व देश में उग्र आन्दोलनों एवं हिंसक प्रवृत्तियों की जो लहर उमड़ पड़ी थी उससे यह सन्देह व्यक्त किया जा रहा था कि सम्भवत: चुनाव शान्तिमय वातावरण में न हो पायें। लेकिन जिस शान्तिमय वातावरण में चुनाव हुए हैं, एवं लगभग 25 करोड़ मतदाताओं ने मतदान में जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उससे स्पष्ट है कि जनतन्त्र के प्रति हमारी आस्था सुदृढ़ है। इन चुनावों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जनता अपने अधिकारों के प्रति सतर्क एवं जागरूक है।

2. राज्य में भी चतुर्थ आम चुनाव शान्ति एवं सद्भावना के वातावरण में सम्पन्न हुए हैं। इस बार विधान सभा की 184 सीटों के लिए 892 उम्मीदवार थे एवं लोक सभा की 23 सीटों के लिए 116 उम्मीदवारों ने मनोनयन-पत्र भरे थे। 12,913 मतदान केन्द्रों पर करीब 70 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान करीब 58 प्रतिशत रहा। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों के 35,000 राज्य कर्मचारियों को नियोजित किया गया। चुनाव कार्य का शान्ति, शीघ्रता एवं सुगमता से सम्पन्न होना इस बात का द्योतक है कि राज्य कर्मचारियों ने कार्य-कुशलता एवं कर्त्तव्यपरायणता से अपना कार्य किया। इसके लिए चुनाव-कार्य में नियोजित सभी राज्य कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं।

3. तीन पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य के योजनाबद्ध आर्थिक विकास की दिशा में काफी कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन गत 2-3 वर्षों में वर्षा के अभाव एवं बढ़ती हुई महंगाई के कारण हम पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। सूखा एवं अनावृष्टि के कारण राज्य के कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार अनावृष्टि के कारण विद्युत उत्पादन में ह्रास होने से औद्योगिक उत्पादन की गति भी कुछ धीमी हुई है। प्रारम्भ से ही कृषि, सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती रही है एवं पंचवर्षीय योजनाओं

में इन पर सर्वाधिक व्यय किया गया है। लेकिन जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाई है। आज की स्थिति में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किया जावे। अस्तु, उत्पादन-योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, चाहे इसमें सामाजिक सेवाओं पर होने वाले व्यय में कुछ कमी ही करनी पड़े। कृषि-उत्पादन कार्यक्रमों की सफलता बहुत कुछ भूमि-सुधारों पर निर्भर करती है। राज्य में अब तक इस सम्बन्ध में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उससे आप भलि-भाँति परिचित हैं। गत वर्ष 26,385 भूमिहीनों को 1,69,259 एकड़ भूमि आवंटित की गई। छोटे काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि-भूमि निर्धारित की गई है, उस सीमा तक या उस से कम कृषि-भूमि थी उनसे अब भू-राजस्व नहीं लिया जायेगा। यह निर्णय आगामी खरीफ की फसल से लागू होगा। अन्य छोटे काश्तकारों को किस सीमा तक और राहत दी जा सकती है, एवं उनकी राहत देने से राज्य सरकार की आय में जो कमी होगी उसको कैसे पूरा किया जाय, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार एक समिति नियुक्त कर रही है।

4. कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशानुकूल वृद्धि न होने एवं बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई जरूरतों का सीधा परिणाम महंगाई में वृद्धि है। इससे निश्चित आय-वर्ग के लोगों की कठिनाइयां और भी बढ़ गई हैं। महंगाई में निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में गत एक वर्ष में तीन बार वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते को मूल्य-सूचनांकों से सम्बन्धित करने का सिद्धान्त राज्य सरकार पहले ही मान चुकी थी और उसी आधार पर जो निर्णय लिये गये थे। उनके अन्तर्गत दो बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। लेकिन अब 1 जनवरी, 1967 से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर तदर्थ-वृद्धि की गई है। राज्य कर्मचारियों की वेतन-श्रृंखलाओं में संशोधन करने के लिये सुझाव देने हेतु एक एक सदस्य आयोग नियुक्त किया जा रहा है। आयोग कीमतों में वृद्धि, राज्य के वित्तीय साधन एवं विकासशील अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए अपने सुझाव राज्य सरकार को देगा। 100 रुपये से 200 रुपये माहवार तक पेन्शन पाने वाले पेन्शनरों की पेन्शन में भी 12 रुपये प्रतिमास की वृद्धि की गई है।

5. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि एवं अकाल राहत कार्यों पर होने वाले अप्रत्याशित व्यय के कारण राज्य के वित्तीय साधनों पर दोहरा भार आ पड़ा है। अस्तु, प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। गत वर्ष विभिन्न मितव्ययता प्रस्तावों के क्रियान्वयन से 57,26 लाख रुपये की बचत की गई। प्रशासन में अधिक मितव्ययता लाने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। मैं सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध करूँगा कि इस सम्बन्ध में वे

भी अपने सुझाव राज्य सरकार को देवें। छोटे व्यापारियों की सहूलियत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिक्री-कर के अभिनिर्धारण एवं वसूली इत्यादि की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में भी शीघ्र कदम उठायेगी।

6. सूखा एवं अनावृष्टि से उत्पन्न अकाल स्थिति राज्य की सर्वाधिक विषम समस्या है। 1963-64 का दुर्भिक्ष राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व माना गया था, लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और 1965-66 में हमें इससे भी अधिक तीव्र अकाल का सामना करना पड़ा। इसका मुकाबला करने के लिये हमें कुल मिलाकर 568.73 लाख रुपये व्यय करने पड़े। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के 26 जिलों में से 23 जिले अकालग्रस्त हैं। अकाल स्थिति की तीव्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 9,715 गाँव एवं करीब 15 लाख जन संख्या अकाल से पीड़ित है, जिन जिलों में अकाल स्थिति अत्यधिक विषम है, वे जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक एवं बूंदी हैं। इस स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। राज्य सरकार ने कृषकों की राहत प्रदान करने के लिये यह आदेश प्रसारित किया कि भू-राजस्व एवं अन्य वसूलियें स्थगित कर दी जावें।

7. अकाल स्थिति का सामना करने, अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को समुचित राहत देने एवं पुश धन के संरक्षण के लिये राज्य सरकार ने निम्नलित महत्त्वपूर्ण कदम उठाये :-

(i) अकालग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार देने के लिये राहत कार्यों का प्रारम्भ।

(ii) पेयजल वितरण की समुचित व्यवस्था।

(iii) घास का वितरण एवं पशु-धन संरक्षण।

(iv) वृद्ध, अशक्त एवं विकलांगों को नगद सहायता।

(v) पशु-धन की राज्य के बाहर निकासी एवं इस हेतु पशु-शिविर एवं घास-शिविर इत्यादि की व्यवस्था।

8. राहत कार्यों को प्रारम्भ करने में इस बार लघु-सिंचाई कार्यों की सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। भू-संरक्षण कार्यों, वन-रोपण कार्यों एवं सीमान्त क्षेत्रों में सड़क-निर्माण कार्यों पर भी अकाल पीड़ित लोगों को रोजगार दिया गया है। जहां तक संभव हुआ है राजस्व विभाग द्वारा संचालित राहत कार्यों की संख्या न्यूनतम ही रखी गई है। इस समय करीब 4.58 लाख व्यक्ति 1,015 राहत कार्यों में लगे हुए हैं। आने वाले कुछ महिनों में इस संख्या के और भी बढ़ने की संभावना है।

9. अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में पेय-जल के समुचित वितरण के लिये राज्य सरकार प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रही है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक गाँव में कम से कम एक कुआ इतनी अच्छी अवस्था में होना चाहिए कि उससे सूखे के समय भी पर्याप्त पेय-जल

प्राप्त हो सके। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय-जल संकट को सदैव के लिये समाप्त करने हेतु एक महायोजना राज्य सरकार द्वारा तैयार करके भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। इस महायोजना के अनुसार समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करने के लिए 70 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 1966-67 से 20 नगरीय जलप्रदाय योजनायें एवं 35 ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें प्रायः पूर्ण कर ली गईं। अजमेर जलप्रदाय योजना का कार्य भी संतोषजनक प्रगति पर है। बाड़मेर जिले में, जहां पेयजल की समस्या अत्यधिक विषम है, रेल एवं ट्रकों द्वारा पानी भेजा जा रहा है।

10. राज्य के भूतल-जल-भण्डार के विदोहन हेतु कुछ और कदम भी उठाये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष में 19,055 कुओं को गहरा किया गया तथा 112 नलकूपों का निर्माण किया गया। इससे पयेजल ही उपलब्ध नहीं होगा अपितु करीब 50,000 एकड़ भूमि में सिंचाई भी हो सकेगी। इस कार्य को तीव्र गति प्रदान करने के लिए गत वर्ष 50 कम्प्रेसर एवं 15 ड्रिलिंग मशीनें क्रय की गईं। इस प्रकार अब 116 कम्प्रसेर एवं 26 ड्रिलिंग मशीनें कार्य कर रही हैं। इस वर्ष 20 कम्प्रेसर एवं 3 ड्रिलिंग मशीनों क्रय करने का विचार है। इससे कुओं को गहरा करवाने एवं बोरिंग का कार्य बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा सकेगा। इन नलकूपों पर पम्पिंग सैट्स लगाने के लिये पम्प एवं अन्य मशीनरी आदि भी क्रय की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

11. राज्य की वर्तमान खाद्य स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यह सूखा एवं अनावृष्टि का स्वाभाविक परिणाम है। गत वर्ष राज्य में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, पर सन् 1965-66 में खाद्यान्न उत्पादन 37.20 लाख टन था और गत वर्ष भी खाद्यान्न उत्पादन अनुमानतः इतना ही रहा है। राज्य की खाद्य समस्या पर नियन्त्रण रखने के लिये निम्नलिखित त्रि-सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया :

(i) भारत सरकार से आंवटित आयातित खाद्यान्न का वितरण।

(ii) भारत सरकार के माध्यम से अन्य प्रान्तों से खाद्यान्न का आयात।

(iii) राज्य में खाद्यान्नों का स्थानीय क्रय।

12. गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक भारत सरकार ने 3.13 लाख टन आयातित गेहूँ व 1.70 लाख टन विदेशी ज्वार (माइलों) प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त रोलर फ्लोर मिल द्वारा तैयार किया गया करीब 27,300 टन आटा भी प्राप्त हुआ था। पंजाब से 250 टन बाजरा भी प्राप्त किया गया। राज्य में विभिन्न मण्डियों से लगभग 45 हजार टन अनाज क्रय किया गया जिसमें से लगभग 26 हजार टन चना व चना दाल है। क्योंकि अन्य राज्य चना एवं चना दाल के लिये राजस्थान पर निर्भर करते हैं इसलिए लगभग 14,600 टन चना व चना दाल भारत सरकार के आंवटन के अनुसार खाद्य निगम के माध्यम से अन्य राज्यों को निर्यात किया गया। उक्त निर्यात के पश्चात् बचे अनाज को सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित किये जाने की व्यवस्था

की गई। सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या भी आवश्यकतानुसार एवं अनाज की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुस समय-समय पर कम जयादा करनी पड़ी। मार्च, 1967 में इनकी संख्या 3,284 थी। लेकिन अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों एवं बड़े नगरों को इस सम्बन्ध में प्राथमिकता दी गई है।

13. अनाज की सीमित उपलब्धि एवं निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कुछ अन्य कदम भी उठाये गये हैं। खाद्यान्न-विपुल क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अनाज भेजने के उद्देश्य से राजस्थान खाद्यान्न (अन्तरजिला आवागमन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1965 को 1 अक्टूबर, 1966 से वापिस ले लिया गया है। खाद्य निगम के माध्यम से राज्य में अनाज का भण्डार बनाने हेतु राजस्थान खाद्यान्न (प्रोक्योरमेंट) आदेश, 1965, में संशोधन कर गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा तथा पेडी का भी समावेश किया गया तथा खाद्य निगम को चुनी हुई मण्डियों से खाद्यान्न की मद का 50 प्रतिशत तक प्राथमिकता से क्रय करने का अधिकार दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 15 हजार टन मोटा-अनाज क्रय किया जा चुका है। इस वर्ष चने की फसल को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य निगम को राज्य को 52 मण्डियों में चने की आवक का 50 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार खाद्य निगम को राज्य की 31 मण्डियों में जौ की आवक का 50 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने का अधिकार दिया गया है। खाद्य-निगम ने क्रय आरम्भ कर दिया है।

14. वर्ष 1966-67 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था। राज्य ने अपने प्रारम्भिक ज्ञापन में चौथी योजना का आकार 438.40 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया था परन्तु वित्तीय साधनों की अनिश्चितता के कारण योजना आयोग ने चौथी योजना पर विचार स्थगित कर दिया और केवल 1966-67 की वार्षिक योजना पर 36.66 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी। राजस्थान नहर परियोजना में नहर निर्माण तथा उस क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र से 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान समय-समय पर लघु सिंचाई ग्रामीण विद्युतिकरण, ग्रामीण जलप्रदाय योजना आदि पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती रही। इस प्रकार 48.14 करोड़ रुपये के संशोधित बजट प्रावधान के मुकाबले अनुमान किया जाता है कि वार्षिक योजना पर व्यय 47.91 करोड़ रुपये का हुआ। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतिकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से जीवन बीमा निगम से 2.00 करोड़ रुपये का ऋण राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा लिया गया, जो पूरा खर्च किया गया। इस प्रकार 49.91 करोड़ रुपये के खर्चे में से 77 प्रतिशत खर्च कृषि, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं पर किया गया, जिससे इस कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकता स्पष्ट प्रकट हो जाती है। नवम्बर, 1966 में योजना आयोग ने राज्य की चतुर्थ योजना पर विचार-विमर्श कर उसका आकार 313 करोड़ रुपये का निश्चित किया, परन्तु इसके विभागीय विभाजन (सैक्टोरल अलोकेशन) का ब्यौरा अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है।

15. कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है एवं पंचवर्षीय योजना में इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हे। लेकिन गत 2-3 वर्षों से वर्षा के अभाव के कारण खरीफ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा जलाशयों में पानी की कमी के कारण सिंचाई के लिये निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी कृषि-उत्पादन में वृद्धि के लिये कई कदम उठाये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक विभिन्न वृहत, मध्यम एवं लघु-सिंचाई योजनाओं से करीब 21 लाख एकड़ भूमि सिंचित हुई। सिंचाई की वृहत योजनाओं में चम्बल योजना के प्रथम चरण का कार्य अधिकांशत: पूर्ण हो चुका है, तथा विद्युत व सिंचाई की सुविधाओं को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। चम्बल-योजना के द्वितीय चरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। माही परियोजना एवं गुड़गाँव नहर का भी कार्य चल रहा है। राजस्थान परियोजना से वर्ष 1966-67 में करीब 1.10 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की गई है। इसके अतिरिक्त, घग्घर नदी के जल पर भी, जो बाढ़ लाकर फसलों की हानि करता था नियंत्रण पर उत्पादन वृद्धि के कार्यों में प्रयुक्त करने की योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है। कामां-पहाड़ी बाढ़ नियन्त्रण-योजना, सिंघावली व भरतपुर की जल-विकास योजनाओं पर भी कार्य जारी है। चम्बल क्षेत्र में जलानुवेधन (वाटर-लोगिंग) के कारण कृषि-उत्पादन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसके समाधान हेतु भी उचित कदम उठाये जा रहे हैं। इस हेतु 1966-67 में 33 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

16. मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं को भी पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। 1966-67 में 11 मध्यम योजनाओं पर कार्य किया गया। इनमें से 8 योजनायें जो प्राय: पूर्ण हैं, उनसे सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा शेष कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। 350 लघु-सिंचाई योजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है, 40 कार्य समाप्त प्राय: हैं तथा 80 कार्यों पर कार्य चालू है। लघु सिंचाई-योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत समितियों को भी तालाबों, एनीकट्स इत्यादि के निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान दिये गये। पम्पिंग सैट्स के लिये भी 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। इन कार्यों का महत्त्व देखते हुए पंचायत समितियों को यह अधिकार दिये गये कि वे अपनी निजी आय में से उपकरणों की खरीद कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकते हैं और इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप बोनस या पारितोषिक भी दे सकते हैं। कृषकों को नए कुऐं, बनवाने, पुराने कुओं को गहरा करवाने, नलकूप व रहट लगवाने एवं पक्की नालियां बनवाने के लिये भी ऋण देने की व्यवस्था की गई।

17. कृषि-उत्पादन में वृद्धि हेतु रासायनिक खाद का प्रयोग निरन्तर बढ़ाया जा रहा है। वर्षा की कमी तथा कुओं एवं जलाशयों में पानी कम उपलब्ध होने के कारण रासायनिक खादों के प्रयोग में कुछ बाधायें आती रही हैं, लेकिन फिर भी गत वर्ष करीब 80 हजार टन नत्रजनिय

एवं 25 हजार टन सुफरफास्फेट उर्वरक प्रयोग में लाया गया जो कि गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। गत वर्ष करीब 2,000 टन पोटेशिक खाद का वितरण किया गया है। इस वर्ष के लिये । लाख 52 हजार टन नत्रजनिय, 54 हजार टन फासफेटिक व 3 हजार टन पोटेशिक खाद वितरण करने के लक्ष्य रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट खाद बनाने एवं वितरण करने पर भी बल दिया जा रहा है। जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, उदयपुर तथा जोधपुर नगर पालिकाओं में यह कार्यक्रम चालू है, तथा कम्पोस्ट खाद को ट्रकों तथा टैक्टरों द्वारा वितरित किया जा रहा है। नगरपालिकाओं को भी इस सम्बन्ध में परिवहन यंत्र खरीदने के लिए 5 लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत करीब 1 लाख 80 हजार शहरी व 25 लाख टन गोबर कचरे की खाद बनाई व वितरित की गई। 1967-68 में 2 लाख 80 हजार टन शहरी खाद व 26 लाख टन गोबर कचरे की खाद बनाने व वितरण के लक्ष्य रखे गये हैं।

18. उन्नत बीज-उत्पादन करने के लिये 3 नये फार्मों को प्रारम्भ करने की कार्यवाही चालू है। गत वर्ष करीब 8 लाख एकड़ क्षेत्र में उन्नत बीज प्रयोग में लाये गये। इसके अतिरिक्त, गत वर्ष की खरीफ फसल के लिए 18,855 एकड़ भूमि में बाजरा, ज्वार, मक्का व धान के संकर बीजों का प्रयोग किया गया। संकर बीजों के प्रयोग से प्रति एकड़ उपज उत्साहवर्धक रही है। संकर बीजों की कमी को दूर करने के लिए इनका उत्पादन भी राज्य में प्रारम्भ किया गया है। गत रबी की फसल में करीब 22,700 एकड़ भूमि में मैक्सिकन गेहूँ बोया गया। इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ावा देने की योजना है। इस वर्ष में खरीफ की फसल में 1,57,000 एकड़ भूमि में ज्वार, बाजरा, मक्का व धान से संकर बीजों व रबी में 1 लाख 25 हजार एकड़ में मैक्सिकल गेहूँ के बीजों का प्रयोग में लेने का लक्ष्य रखा गया है।

19. कृषि के उत्तरोत्तर विकास के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाये गये हैं। राज्य के 10 जिलों की 60 पंचायत समितियों में सघन कृषि-कार्यक्रम जारी रखा गया है। इस वर्ष में इस कार्यक्रम में 29 पंचायत समितियाँ और सम्मिलित करने की योजना है। जिला सघन कृषि-कार्यक्रम पाली एवं सिरोही जिलों की 10 पंचायत समितियों में चालू है। फसल-संरक्षण के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। गत वर्ष करीब 44 लाख एकड़ क्षेत्र में पौध संरक्षण का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त, बीमारियों की रोकथाम के लिये वायुयानों द्वारा कोटा, झालावाड़ एवं गंगानगर जिलों में करीब 46 हजार एकड़ भूमि में गेहूँ व कपास की फसलों पर दवाइयाँ छिड़की गईं। इस वर्ष के लिए 54 लाख एकड़ क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य व 40 हजार एकड़ क्षेत्र में वायुयानों द्वारा दवाइयें छिड़कने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उद्यानों के विकास के लिए एवं सब्जियों की पैदावार के लिए भी यथेष्ट ध्यान दिया गया है।

20. गत वर्ष भू-संरक्षण का कार्य करीब 80 हजार एकड़ क्षेत्र में पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त, 14 जिलों में अकाल-सहायता कार्यों के अन्तर्गत भी भू-संरक्षण कार्य आरम्भ किये गये हैं। डोलबन्दी व सूखी खेती का कार्य करीब 13 लाख एकड़ में पूरा किया गया। चम्बल

क्षेत्र में पानी के भराव की समस्या को हल करने के लिए कार्य आरम्भ किया गया तथा गत वर्ष करीब दो हजार एकड़ क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण किया गया। चम्बल क्षेत्र में भूमि समतल करने का कार्य रिफाइनेन्स कारपोरेशन की सहायता से प्रारम्भ कर दिया गया है।

21. पशुपालन कार्य हमारी अर्थ व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, और राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में इसके विकास हेतु प्रारम्भ से ही यथेष्ठ ध्यान दिया जाता रहा है। गोवंश की विभिन्न नसलों के सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। पशु रोगों के निदान हेतु राज्य में इस समय 204 पशु-चिकित्सालय, 127 पशु-औषधालय, 17 चल पशु-चिकित्सालय तथा 7 प्रतिकारी जनन-इकाइयाँ कार्यरत हैं। सूरतगढ़ में एक चल पशु-चिकित्सालय प्रारम्भ किया गया है। पशुओं में माता रोग के उन्मूलन हेतु राज्य में 7 पार्टियाँ एवं 5 चैक-पोस्ट कार्य कर रही हैं। शूकर-पालन, कुक्कुट-विकास एवं मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दी गई है। इससे लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि खाद्य समस्या का भी कुछ हद तक समाधान हो सकेगा। कुक्कुट-पालन की तरफ लोगों को उत्साहित करने के लिए तकनीकी सलाह के अतिरिक्त तैयार खाद्य भी वितरित किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष के अन्त तक राजकीय फार्मों पर 5.59 लाख अण्डों का उत्पादन हुआ। मत्स्य-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए जलाशयों को विकसित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

22. राज्य में ऊन-उद्योग के विकास हेतु जो स्वीकृत कार्यक्रम 1963 में प्रारम्भ किया गया था वह योजना के अनुसार पूर्ण किया जा रहा है। इस वर्ष नागौर तथा पाली में ऊन-वर्गीकरण-केन्द्र तथा जोधपुर व बीकानेर में वर्गीकरण एवं विपणन (मार्केटिंग) केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, गत वर्ष 27 भेंड़ व ऊन प्रसार एवं कतरन केन्द्र खोले गये हैं। स्वीकृत कार्यक्रम के प्रारम्भ किये जाने से अब तक लगभग 17.74 लाख किलोग्राम ऊन का वर्गीकरण के उपरान्त विपणन किया गया। मशीन द्वारा ऊन कल्पन के कार्य के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु जो प्रजनन केन्द्र चल रहे थे उनको विकसित किया गया है तथा चित्तौड़गढ़, जसवन्तगढ़ एवं हनुमानगढ़ में नये प्रजनन केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। नस्ल सुधार के लिये प्रसार एवं कल्पन केन्द्रों पर शुद्ध नस्ल के मेंढ़े रखे गये हैं एवं ग्रामीण भेड़-पालकों में उन्हें वितरित किया जा रहा है। राज्य की भेड़ों की ऊन-उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने एवं ऊन की किस्मों को सुधारने हेतु जो रूसी भेड़ें तथा मेंढ़े प्राप्त हुए थे उनकी संख्या में बहुत ही संतोषजनक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ संकर मेमनों की प्रगति भी उत्साहजनक है। इस कार्यक्रम को और अधिक विकसित करने एवं व्यापक रूप देने के लिये एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी जयपुर में प्रारम्भ किया गया है। कृषक-वर्ग को इस कार्य के लिये प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान एवं ऋण देने की भी व्यवस्था की गई है।

23. कृषि-उत्पादन-कार्यक्रमों में पंचायती-राज संस्थाओं का विशेष उत्तरदायित्व है। सघन कृषि-कार्यक्रम, उन्नत बीज वितरण, लघु-सिंचाई, कमपोस्ट खाद निर्माण एवं वितरण,

स्थानीय विकास कार्य, व्यवहारिक पोषाहार-कार्यक्रम इत्यादि में पंचायती-राज संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थानीय विकास-कार्यों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान पर जोर दिया गया। पंचायत समितियों को नकंद, श्रम एवं अन्य रूप में 50 लाख रुपये का जन-सहयोग भी प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत को अपनी आय के साधन बढ़ाने हेतु 15 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा पंचायत समिति को 100 बीघा भूमि आवंटित की जाने का प्रावधान किया गया है। इस भूमि का प्रयोग कृषि-उत्पादन तथा कृषि के उन्नत तरीकों के प्रदर्शन हेतु किया जायेगा। क्योंकि ग्राम-सेवक मुख्यत: कृषि-कार्यकर्ता हैं, अत: ग्राम सेवकों को कृषि, पशुपालन आदि विषयों में उच्च प्रशिक्षण हेतु एक नई योजना गत वर्ष प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत इस समय 57 ग्राम-सेवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

24. सहकारिता के क्षेत्र में गत वर्ष कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष था। कुछ वर्ष पूर्व तक जहां सहकारी आन्दोलन केवल ऋण देने तक ही सीमित था वहां अब यह विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर फैलता जा रहा है। सहकारी समितियाँ अब सदस्यों को न केवल ऋण ही उपलब्ध करा रही हैं, अपितु उन्हें सस्ते खाद, बीज, औजार, कीटाणुनाशक दवाइयाँ आदि की सुविधाएँ भी प्रदान कर रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जहां सब प्रकार की सहकारी समितियों की कुल संख्या 18,309 थी, वह बढ़ कर जून, 1966 के अन्त तक 22,580 हो गई। सदस्यता 9,67,928 से बढ़ कर 14,92,313 हो गई है। सन् 1966-67 के अन्त तक सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत 33.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आ चुके थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ऋणदात्री समितियों ने भी अच्छी प्रगति की है। लेकिन सूखा व अनावृष्टि के कारण ऋण-वसूली में कुछ बाधाएँ आई हैं। इस हेतु राज्य में कृषि साख स्थिरता फण्ड (एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाईजेशन फण्ड) स्थापित किया जा चुका है। आर्थिक दृष्टि से अशक्त सहकारी समितियों के पुनर्गठन एवं दृढ़ीकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सहकारिता के अन्तर्गत अब फसली ऋण की व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार अब ऋण देते समय कृषक की हैसियत नहीं देखी जाती बल्कि यह देखा जाता है कि उत्पादन वृद्धि के लिये उसको कितने ऋण की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने 50 पंचायत समितियों में तकावी ऋणों को सहकारी समितियों के माध्यम से देने का भी निर्णय लिया है। सहकारी क्षेत्र में केशवरायपाटन (बूंदी) में चीनी मिल को प्रारम्भ करने का कार्य संतोषजनक प्रगति पर है। गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) में राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल पंजीकृत की जा चुकी है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को रोकने के लिए भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। उपभोक्ता-होलसेल भण्डारों एवं खुदरा शाखाओं का जाल बिछाया जा रहा है। जयपुर तथा जोधपुर में सहकारी बाजार प्रारम्भ किये जा चुके हैं तथा अजमेर में विभागीय भण्डार शीघ्र ही अपना कार्य प्रारम्भ कर देंगे। राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

25. मानसून की विफलता का एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम विद्युत उत्पादन में ह्रास है गांधीसागर जलाशय में जल का सीमित अन्तर्वाह ही हुआ एवं जल का अधिकतम स्तर 126 फीट था। ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय में कुछ कटौती करना अनिवार्य था। इस असाधार स्थिति का सामना करने के लिये हर सम्भव प्रयास किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार राजस्थान को दिल्ली पावर सिस्टम से मिलाने के लिये 132 किलोवाट (K.M.) ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस कार्य के सम्पन्न हो जाने पर हमें 20 मेगावाट (M.W. अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। यदि इस वर्ष भी प्रकृति हमें धोखा नहीं देती है, त सितम्बर, 1967 तक चम्बल परियोजना से विद्युत-उत्पादन पुनः सामान्य हो जायेगा। इसके अतिरिक्त जून-जुलाई, 1967 तक सतपुड़ा से तथा सितम्बर-अक्टूम्बर, 1967 तक राण प्रतापसागर से 30 मेगावाट (M.W.) तक विद्युत प्राप्त होने की संभावना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विद्युत-उत्पादन, संचरण एवं वितरण के लिये 91.8 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रावधान से करीब ढाई गुना है। ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए भी समुचित प्रयास किया गया है। गत वर्ष के अन्त तक करीब 1,700 विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत पहुँच चुकी थी तथा करीब 12,000 कुओं पर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था।

26. शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्ष काफी प्रगति हुई। प्राथमिक स्तर पर 30 नई प्राथमिक शालायें प्रारम्भ की गईं एवं दो हजार नये अध्यापकों की प्राथमिक शालाओं में नियुक्ति की गई। माध्यमिक स्तर पर 50 प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करने के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 199 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया, जिसके फलस्वरूप माध्यमिक शालाओं को संख्या अब 1,830 हो गई है। 200 द्वितीय श्रेणी के अध्यापक उन शालाओं में नियुक्त किये गये जहां एक भी द्वितीय श्रेणी का अध्यापक नहीं था। मार्च, 1967 में प्राथमिक शालाओं में कुल विद्यार्थी संख्या करीब 17.35 लाख थी जो कि 6-11 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं का 50.3 प्रतिशत है। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर पर मार्च, 1967 के अन्त तक विद्यार्थी संख्या 3.65 लाख हो गई थी जो कि 11-14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का 21 प्रतिशत है। उच्च माध्यमिक स्तर पर 129 माध्यमिक स्कूलों की इस वर्ष उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया जिसके फलस्वरूप उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ कर 872 हो गई। इन स्कूलों में 40 प्रथम श्रेणी के एवं 60 द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। विज्ञान विषय के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 62 उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विज्ञान-विषय व 26 शालाओं में जीव-विज्ञान विषय प्रारम्भ किये गये। 7 शालाओं में कृषि-विषय एवं 14 शालाओं में वाणिज्य-विषय प्रारम्भ किये गये। विज्ञान-कक्षाओं में विज्ञान की सामग्री के अभाव को दूर करने हेतु 10.91 लाख रुपये की धन-राशि का वितरण किया गया। उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या मार्च, 1967 तक 1.58 लाख हो गई थी जो कि 14-17 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं का 10.1 प्रतिशत है।

27. उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए गत वर्ष 5 नये कॉलेज बारां, नीमकाथाना, प्रतापगढ़, जालोर व भीनमाल में खोले गये। राजकीय महाविद्यालय टोंक में विज्ञान संकाय, बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना में भूगर्भ संकाय और राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा में वाणिज्य-संकाय प्रारम्भ किये गये। अजमेर में विभिन्न भाषाओं हेतु एक संस्था की स्थापना की गई। अभी यह संस्था केवल अंग्रेजी भाषा का ही अध्ययन कराती है लेकिन भविष्य में दूसरी भाषाओं के अध्ययन की भी व्यवस्था करने का विचार है। संस्कृत-शिक्षा के विकास हेतु एक राजकीय संस्कृत पाठशाला प्रारम्भ की गई एवं दो उपाध्याय महाविद्यालयों को शास्त्रीय स्तर में क्रमोन्नत किया गया एवं 2 गैर-सरकारी संस्कृत पाठशालाओं को राज्याधीन लिया गया। संस्कृत के 20 अध्यापक प्रशिक्षण हेतु भेजे गये, एवं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इस वर्ष अनिवार्य एन.सी.सी. प्रशिक्षण को दृढ़ किया गया एवं कुछ नई यूनिट स्थापित की गई।

28. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मालवीय क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर में 60 सीटों की वृद्धि की गई। भरतपुर तथा जयपुर में दो नये पोलीटेक्निक स्थापित किये गये।

20. विद्युत-उत्पादन में ह्रास के फलस्वरूप वृहत् उद्योगों के विकास में कुछ कम प्रगति हुई है। निकट भविष्य में सीमेण्ट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ एवं वनस्पति कारखाना, भीलवाड़ा, प्रारम्भ होने वाले हैं। निम्नलिखित वस्तुएँ बनाने के लिए भारत-सरकार द्वारा राजस्थान को नये लाइसेंस दिये गये हैं :-

1. उर्वरक कारखाना, कोटा में।
2. तांबे के काण्टेक्ट तार, जयपुर में।
3. इ.सी.ग्रेड एल्यूमिनियम के तार, जयपुर में।
4. टगंस्टन कारबाइड डाई, जयपुर में।
5. सूत कातने की मिल, उदयपुर में।

30. रोलर फ्लोर मिल, जयपुर की बढ़ोतरी एवं पाली मिल के लिये अतिरिक्त 10,030 तकुवों के भी भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

कुछ अन्य उद्योगों में क्षमता बढ़ाने के लिये तथा नई वस्तुओं के निर्माण हेतु भी भारत सरकार को लिखा गया है। कुछ वस्तुएँ जिनके बनाने के लिये भारत सरकार से उद्योग (डवलपमेंट तथा रेगूलेशन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस लेने पड़ते थे, अब उससे मुक्त कर दिया गया है। इससे राज्य में कई नये उद्योग प्रारम्भ होन की संभावना है। ग्राइंडिग मशीन टूल्स फैक्ट्री, अजमेर एवं सीमेण्ट फैक्ट्री, उदयपुर का हाल ही में शिलान्यास किया गया है। निम्नांकित उद्योगों को प्रारम्भ करने की प्रगति संतोषजनक है-

1. इन्स्ट्रूमेन्टेशन कारखाना, कोटा।

2. उदयपुर सीमेण्ट वर्क्स, उदयपुर।

3. बूंदी सीमेण्ट वर्क्स, बून्दी।

4. ब्यावर सीमेण्ट वर्क्स, ब्यावर।

5. कोको-कोला प्लांट, जयपुर।

6. जिंक स्मैल्टर, उदयपुर।

31. ऊनी मिल, लघु-उद्योग-नियम के अधीन स्थापित की जा रही है। इसके लि मशीनों एवं प्रशिक्षित स्टाफ इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई है। लघु उद्योगों के विकास के लि उपक्रमियों को ऋण देने के लिये 3 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना से 100 लघु उद्योग लाभान्वित होंगे। लघु उद्योगों में विद्युत उपयोग पर कुछ सब्सीडी भी दी गई है।

32. बीकानेर में ऊनी मिल के लिये कार्य प्रारम्भ होने से राजकीय उद्योगों का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है। इस मिल के लिये यंत्रों का आयात जापान से किया जा रहा है। यह मिल 1967-68 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। इस वर्ष एक सोडियम सल्फाइड प्लांट का भी निर्माण किया गया है, जिसमें उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्तमान सोडियम सल्फेट प्लांट, डीडवाना की उत्पादत क्षमता को 20 टन प्रतिदिन से 40 टन प्रतिदिन बढ़ाने हेतु भी कार्य चालू है।

33. खनिज उद्योग के क्षेत्र में हमारे देश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुए उस समझौते का सर्वाधिक महत्त्व है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान के कुछ हिस्सों का वायु-सर्वेक्षण किया जावेगा। इसके राज्य की खनिज सम्पदा के सम्बन्ध में नये तथ्य प्रकाश में आने की संभावना है। गत वर्ष खनिजों के उत्पादन में 8 प्रतिशत एवं अप्रदाय खनिजों के उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उदयपुर की रेलमगरा तहसील में राजपुरा के पास शीशे, जस्ता एवं व तांबा होने का कुछ आभास मिला है। इस सम्बन्ध में अग्रिम जाँच हो रही है। जैसलमेर में बीरमानिया के पास फास्फेट के भण्डार की स्थिति का पता लगा है और इसके लिये खोज-कार्य चल रहा है। उदयपुर जिले के भींडर, कंटार तथा बेलागढ़ (जिन्दोली गाँव) के निकट फोस्फोराइट खनिज के भण्डार का भी पता लगा है। चित्तौड़गढ़ जिले में पारसोली एवं बांसवाड़ा जिले में लुहारिया में चूना-पत्थर के भण्डार का भी पता लगाया गया है। सरकारी क्षेत्र में डूँगरपुर जिले में मान्डो की पाल में फब्रोरोइस्पात तथा नागौर जिले में गोटमांगलों व डेगाना में क्रमश: जिप्सम व टंगस्टन धातु खनिज का खनन कार्य चालू रखा है। जालोर जिले में ग्रेनाइट पत्थर के परिमार्जन के लिए एक नये ढंग का उद्योग प्रारम्भ किया गया है।

34. नियंत्रित पदार्थों, विशेषत: औद्योगिक कच्चे पदार्थों के वितरण के सम्बन्ध में जो शिकायतें होती रहती हैं, उनको दूर करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पदार्थों के वितरण का कार्य किसी एक व्यक्ति पर न छोड़ कर इसके लिये एक समिति बना दी जावे।

औद्योगिक कच्चे पदार्थों एवं यंत्र इत्यादि के आयात के लिये राज्य सरकार द्वारा जो आवश्यकता प्रमाण-पत्र (असेन्सियेलिटी सर्टिफिकेट) दिये जाते हैं, उसके लिये भी समिति बनाई जावेगी।

35. राज्य में वनों का विकास शनैः-शनैः प्रगति पर है। वन विकास के अन्तर्गत गत वर्ष 120 हैक्टेर्स भूमि पर नये वन लगाये गये एवं 992 हैक्टेर्स भूमि में वनों का सुधार किया गया। राज्य में पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के लिए भी हमारे वन काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। 4.22 हैक्टर्स भूमि पर अच्छी घास की पैदावार के लिये चरागाह बनाये गये हैं। गत वर्ष ... लाख मन घास वन विभाग द्वारा इकट्ठा किया गया। कन्दरा-भूमि-सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत 17 हजार हैक्टेर्स भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। चम्बल-क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य संतोषजनक प्रगति पर है। इस क्षेत्र में गत वर्ष 2,410 हैक्टेर्स भूमि पर चरागाह व 280 हैक्टेर्स भूमि पर वृक्षारोपण किया गया तथा 1967-68 में 5,300 हैक्टेर्स भूमि पर चरागाह एवं 80 हैक्टेर्स भूमि पर वृक्षारोपण करने की योजना है।

36. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की गति गत वर्ष भी उत्साहजनक रही। गत वर्ष राज्य सरकार ने 24 नये चिकित्सालय स्थापित किये। 3 नये मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं। तब तक 26 जिलों में से 21 जिलों में क्षय रोग की चिकित्सा एवं रोकथाम की सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं। मलेरिया उन्मूलन का कार्य कई क्षेत्रों में पूर्ण हो चुका है एवं राष्ट्रीय-रोहे-नियंत्रण कार्यक्रम संतोषजनक प्रगति कर रहा है। राज्य में गत वर्ष 100 नये आयुर्वेदिक औषधालय भी स्थापित किये गये।

37. परिवार नियोजन को लोकप्रिय बनाने के लिये कई प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन जनता परिवार नियोजन को शनैः-शनैः ही स्वीकार कर रही है। गत वर्ष 15,019 लूप लगाये गये एवं 5,927 पुरुषों एवं 2,391 महिलाओं के ऑपरेशन किये गये। इसके अतिरिक्त, बहुत बड़ी संख्या में निरोधक उपकरण एवं गोलियाँ इत्यादि वितरित की गई। परिवार-नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने एवं मार्गदर्शन के लिये प्रयास कर रही है। परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एक क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण-केन्द्र अजमेर में प्रारम्भ किया गया है।

38. वर्ष 1966-67 में अनुसूचित जन-जाति के 12,000 छात्रों, अनुसूचित जाति के 20 हजार छात्रों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के 400 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त अनूसुचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के 500 से अधिक परिवारों को कृषि औजारों, गृह-निर्माण एवं ऊँट खरीदने इत्यादि के लिये सहायता दी गई। केन्द्रीय संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जन-जाति अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं घुमन्तु जाति के 2,700 छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी गई। 560 हरिजन परिवारों को भी गृह-निर्माण के लिये सहायता दी गई। विमुक्त जातियों के लिये 12 छात्रावास सरकार द्वारा वर्ष

1966-67 में चलाये गये एवं 170 परिवारों को पुनर्संस्थापन हेतु सहायता दी गई। इस अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जातियों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें राज्य सेवा में भर्ती हेतु उन्हें सक्षम बनाया जायेगा। अनुसूचित जन-जातियों के कल्य हेतु 4 नये आदिवासी विकास खण्ड खोले जायेंगे।

39. राज्य में श्रम स्थिति प्राय: सामान्य रही। श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरव ने आलोच्य वर्ष में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने सार्वजनिक यातायात, पत्थ तोड़ना, सड़क, चावल, दाल, आटा मिलें, अभ्रक की खानें एवं कारखानें, रूई की जिनिंग प्रोसिंग फैक्ट्रीज तथा छापाखाने एवं तेल मिल आदि व्यवसायों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेत को संशोधित किया। इसके फलस्वरूप कुशल, अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को क्रमश 100,80 तथा 60 रुपए, प्रति मास वेतन निश्चित किया गया। बोनस-अदायगी-अधिनियम 1965 के अन्तर्गत 726 प्रतिष्ठानों के 84 प्रतिशत श्रमिकों को बोनस वितरित किया गया राजकीय क्षेत्र में गंगानगर शूगर मिल्स लघु-उद्योग निगम तथा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 4 प्रतिशत बोनस देने की घोषणा की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भी 4 प्रतिश एक्स-ग्रेशिया भुगतान किया। महंगाई में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने माथु समिति की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया तथा निजी क्षेत्रों में 50 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में तथा मोटर ट्रान्सपोर्ट संस्थानों में 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों में उक्त सिफारिशें लागू की गईं। राजकीय क्षेत्रों में भी उक्त सिफारिशों को लागू किया गया।

40. राज्य के 18 नियोजन कार्यालय पूर्ववत् कार्य करते रहे। अजमेर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर नियोजन कार्यालयों में विशेष व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम भी जारी रखे गये। 1966-67 में 15,742 व्यक्तियों को नियोजन कार्यालयों के माध्यम से नौकरी दिलाई गई।

41. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। अपराधों की संख्या में गत वर्ष, 1965-66 की अपेक्षा तनिक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मुख्य कारण सूखा व अनावृष्टि है। पुलिस के कुख्यात डाकू-गिराहों से 11 बार मुठभेंडें हुई जिनमें 3 डाकू मारे गये व 2 बन्दी बनाये गये। इन मुठभेड़ों में एक थानेदार, एक मुख्य आरक्षी व दो आरक्षी वीर गति को प्राप्त हुए। कई तस्कर व्यापारी पकड़े गये व उनसे लगभग 296 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। मुनाफाखोरी, गैर कानूनी तरीकों से अनाज-संग्रह करने वाले व्यापारियों एवं तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई। राज्य में 1,593 मुकदमें इस सम्बन्ध में दर्ज ये गये व 530 व्यक्तियों को विभिन्न खाद्य-कानूनों के प्रावधानों को भंग करने के अपराध में सजायें हुईं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 18 मुकदमों में 23 दोषी कर्मचारियों को सजायें दिलाई गईं।

42. हिन्दी को राज्य-कार्य में पूर्णरूपेण 26 जनवरी, 1968 तक प्रतिष्ठित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है। राज्य के प्रशासन कार्य में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। कुछ तकनीकी, वित्तीय तथा संवैधानिक मामलों को छोड़ कर अधिकतर विभागों

...करण के लिये निर्धारित लक्ष्य अधिकांशत: प्राप्त कर लिये गये हैं। कुछ मामलों में ...र्य रूप से हिन्दी के प्रयोग के आदेश जारी किये गये हैं। उदाहरणत: समस्त राजकीय पत्रों ...देशों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करने के आदेश 15 सितम्बर, 1966 से प्रभावशील हैं। ...के साथ भी राज्य के पत्र-व्यवहार को हिन्दी में करने की दिशा में प्रगति हुई है। और यह ...किया गया है कि हिन्दी पत्रों के साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजना आवश्यक नहीं होगा। यह ...भी लिया गया है कि अखिल भारतीय एकरूपता की दृष्टि से समस्त राज्य कार्यों में भारतीय ...के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग हो। कुछ संवैधनिक एवं तकनीकी मामलों के सिवाय ...में राजाज्ञायें केवल हिन्दी में ही प्रकाशित करने के आदेश दिये गये हैं।

43. अल्प-बचत के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। अल्प-बचत-कार्यक्रम को ग्रामीण ...में लोकप्रिय बनाने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं। गत वित्तीय वर्ष में डाकघर बचत ...में लगभग 1,72,000 नये खाते खुलवाये गये। यह संख्या पिछले पांच वर्षों में कुल ...कर खोले गये खातों की संख्या से करीब ड्योढ़ी है।

44. इस सत्र का मुख्य कार्य, जिसके लिये आपको आमंत्रित किया गया है, वह इस ...वर्ष के लिए आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना तथा ...सम्बन्धी कानून बनाना है। मुझे विश्वास है कि आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करते समय ...इस बात को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देंगे कि राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु हम ...कृत-संकल्प हैं। जनता की भावनाओं का आदर करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान (गायों ...निर्यात पर प्रतिबंध) अध्यादेश, 1966 जारी किया था। इस सम्बन्ध में एक विधेयक आपके ...प्रस्तुत किया जायेगा। राजस्थान सशस्त्र आरक्षी अधिनियम में संशोधन के हेतु एक ...अधिनियम जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में भी एक विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया ...जायेगा।

45. गत एक वर्ष में हमारी सफलता एवं असफलताओं तथा आने वाले वर्ष में हमें क्या ...करना है, उसका एक लेखा-जोखा मैंने मोटे तौर पर आपके सामने रखा है। मुझे विश्वास ...है कि राज्य की समस्याओं के प्रावधान हेतु आप जो भी विचार-विमर्श करेंगे वो लोक-कर्त्तव्य ...एवं जनहित की भावनाओं से परिपूर्ण होंगे। राज्य को चहुँमुखी विकास की दिशा में अग्रसर करने ...के लिए आपके सद्प्रयत्न सफल हों, यह मेरी कामना है।

जयहिन्द।

✪✪✪